

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 57-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 6, 2018 (CHAITRA 16, 1940 SAKA)

# हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 06 अप्रैल, 2018

संख्या 47/एसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे अधिसूचना में, इसके बाद, अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रूपए तक का है, ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो मालों या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

- 2. उक्त व्यक्ति अप्रैल से जून, 2018 तिमाही के दौरान किए गए मालों या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर—1 में 31 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे।
- **3.** अप्रैल से जून, 2018 के मास के लिए, अधिनियम की धारा 38 की उप—धारा (2) और धारा 39 की उप—धारा (1) के अधीन, ब्यौरों या विवरणी, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय—सीमा के विस्तार को उसके बाद राजपत्र में अधिसुचित किया जाएगा।

संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

### HARYANA GOVERNMENT

### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

### **Notification**

The 6th April, 2018

**No.47/ST-2.**— In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

- 2. The said persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter April to June, 2018 till the 31st day of July, 2018.
- 3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under Sub-section (2) of Section 38 and Sub-section (1) of Section 39 of the Act, for the months of April to June, 2018 shall be, subsequently, notified in the Official Gazette.

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

56175—C.S.—H.G.P., Chd.